

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) भीलवाड़ा

क्रमांक: प.1(ख)2 क2(1)/भू.अ./स्था./2018/65357

दिनांक : 06.02.2018

-: आदेश:-

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक: राम/भू0अ0/परीक्षा/प-279/2017/851-882 दिनांक: 05.02.2018 के क्रम में, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम-4 के अन्तर्गत, सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2015 से चयनित होकर इस जिले को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाती हैं।


क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम पटवारी मय पिता का नाम	जन्म दिनांक
1	102024	छोटी कुमारी/श्रीचन्द्र	08.05.1991
2	113365	अर्पिता नैनावटी/सुनील कुमार नैनावटी	22.05.1979
3	115013	ऊमा कुमारी/ओमप्रकाश चौहान	10.12.1990
4	116552	विनीता जारेड़ा/रामभरोसी मीना	15.12.1997
5	120448	सुख लाल गुर्जर/नानु राम गुर्जर	03.05.1969
6	122877	शशि कांता मीना/रामचरण मीना	05.12.1994
7	126024	सरिता मीना/रामखिलारी मीना	01.05.1992
8	163969	भँवर सिंह/नत्थु सिंह	01.07.1982
9	182240	वन्दना शर्मा/कल्याण नारायण शर्मा	08.06.1977
10	189303	अनिता बोहरा/कैलाश चन्द्र	08.11.1992
11	190321	शिवराज गोठवाल/उदय लाल गोठवाल	11.07.1993
12	196902	योगेश कुमार जाखड़/महेन्द्र सिंह जाखड़	15.02.1993
13	197130	मनीषा मीणा/सोनपाल मीणा	12.08.1994
14	198682	हनुमान सिंह/सुखदेवा राम	01.07.1973
15	201491	विजय लक्ष्मी/हेतराम	01.01.1995
16	210671	माधोसिंह/भगवानसिंह राठौड़	08.07.1981
17	214787	नगेन्द्र सिंह/पर्वत सिंह	29.04.1995
18	215731	अनिल कुमार वैष्णव/जुगल किशोर	07.10.1992
19	216057	राकेश कुमार मीणा/सुगन लाल मीणा	01.07.1995

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन दी जाती हैं-

1. नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के उपरान्त नियुक्त पटवारी (प्रोबेशन ट्रेनी) को तत्काल भू-अभिलेख अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
2. उक्त कार्मिकों को परिवीक्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रु. 14600/- मासिक संदत्त किया जायेगा एवं परिवीक्षा की कालावधि में कोई वेतनवृद्धि, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अध्याधीन शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश, परिपत्र लागू होंगे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4. उक्त प्रशिक्षु पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
5. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे।
6. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक-F.7(1) (कार्मिक) क-2/2001 दिनांक-20.06.2001 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-F.13(3) FD/(rules) पेंशन/8/01 दिनांक-04.10.2001 के अनुसार दिनांक-01.06.2002 को या इसके पश्चात् किसी भी समय इनके दो या दो से अधिक सन्तान होने पर इन नियमों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में उपस्थिति के समय रु. 10/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वर्तमान संतानों की संख्या एवं जन्म दिनांक अंकित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7. कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.8 (1) कार्मिक (क-2) 2002 दिनांक-09.06.2003 के अनुसार उक्त नियुक्ति पर अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.1(4) FD/(rules)/2017 जयपुर दिनांक-30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार एन.पी.एस. की कटौति की जायेगी।
8. वित्त अनुभाग की अधिसूचना क्रमांक-F.12 (6) FD/(rules)/2005 जयपुर दिनांक-13.03.2006 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कार्मिक दो वर्ष (Two Year) की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी।
9. कार्मिक की नियुक्ति से परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य बीमा (SI) की राशि की कटौती नहीं की जायेगी।
10. परिवीक्षाकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 15 (Fifteen) दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
11. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F-6(5) FD/(rules) 2004 दिनांक-27.07.2004 के अनुसार कार्मिक पर मेडिकल बीमा आवरण योजना लागू होगी।
12. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनमकंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी.सिविल रिट


जिला कलक्टर
 बीकानेर

याचिका संख्या 13090/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।


13. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र (बॉण्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशी रुपये 91000/-राज्य सरकार को लौटानी होगी।

— Sd —
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रमांक—सम/ 65358- 404
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक: 06.02.2018

1. निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, भीलवाड़ा।
5. कोषाधिकारी भीलवाड़ा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध करावें।
7. प्रधानाचार्य, सर्वउद्देश्यीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
8. ए.सी.पी., सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि आदेश को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित प्रोबेशनर ट्रेनी पटवारी.....।
10. निजी पंजिका।
11. रक्षित पत्रावली।


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा